

## प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 08-06-2021

### 40 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब व 250 ग्राम नौसादर तथा करीब 01 किलो यूरिया के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के अवैध शराब को बनाने व बिक्री के रोकथाम के आदेश के अनुपालन में एवं पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण एवम् प्रभारी निरीक्षक आनन्द प्रकाश थाना शाहपुर, के देखरेख में मय हमराहीयान वास्ते देखभाल क्षेत्र, शान्ति व्यवस्था ड्यूटी व आपरेशन गरल के तहत अवैध कच्ची शराब के रोकथाम हेतु उ०नि० मो० आरिफअली शेर, हे०का० अभिषेक कुमार, का० आनन्द कुमार सिंह, का० मनीष गुप्ता के द्वारा स्टर्नपुर चौराहा पादरी बाजार पहुंचकर जहाँ पर अभियुक्त नागेश्वर सिंह पुत्र स्व० अमर बहादुर सिंह निवासी ब्यासनगर बधिक टोला पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के पास से एक सफेद बोरी में कुल 40 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 250 ग्राम नौसादर तथा करीब 01 किलो यूरिया जिसको पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली से घेर-घार कर पकड़ लिया गया जिनमें 01 नफर अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। अभियुक्त से पूछताछ की गई तो अपना जुर्म स्वीकार किया।

#### गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता -

- नागेश्वर सिंह पुत्र स्व० अमर बहादुर सिंह निवासी ब्यासनगर बधिक टोला पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

#### पंजीकृत मुकदमा-

- मु०अ०सं० 243/2021 धारा 60 आबकारी अधि० व 272 भादवि

#### बरामदगी माल

- एक सफेद बोरी में 08 पीली पन्नी, प्रत्येक पन्नी में 05 लीटर कुल 40 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब व दो अलग अलग सफेद कपड़े में 250 ग्राम नौसादर व करीब 01 किलो यूरिया
- एक अदद एक्टवा स्कुटी गाड़ी नं० UP 53 DS 5838

#### गिरफ्तार करने वाले पुलिस पार्टी के अधि०/कर्म० का नाम -

- 1- SI मो० आरिफ अली शेर थाना शाहपुर, गोरखपुर
- 2- हे०का० उदय प्रताप सिंह, थाना शाहपुर गोरखपुर
- 3- हे०का० अभिषेक राय, थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- 4- का० आनन्द सिंह, थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- 5- का० मनीष गुप्ता, थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।